AHO put up with file
24/09/19

EM
Recommend
24/9

श्रीमान आयुक्त महोदय,

राजस्थान आवासन मण्डल,

जयपुर

विषयः- प्रार्थी हर्ष मिश्रा पुत्र श्री भगवान स्वरूप मिश्रा के आवास संख्या 69/354 मानसरोवर, के पास लगती हुई खाचा भूमि के आवंटन हेतु ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में सादर निवेदन है कि मेरे पुत्र हर्ष मिश्रा पुत्र श्री भगवान स्वरूप मिश्रा, जिसका-प्रार्थी मुख्तयार आम है को आवास संख्या 69/354, मानसरोवर जयपुर में आवंटित है, इस आवास का क्षेत्रफल 121 वर्गमीटर है। यह आवास कार्नर भूखण्ड है जिसके पास खांचा भूमि स्थित है। उक्त खांचा भूमि को उप आवासन आयुक्त मानसरोवर जयपुर द्वारा आवास संख्या 69/353 को आवंटन करने का निर्णय ले लिया गया था एवं उनके पत्र क्रमांक 3460 दिनांक 23.03.2011 के द्वारा उक्त खाचां भूमि को आवास संख्या 69 /353 को आवंटित करने हेतु मुझसे आक्षेप मांगे गये थे एवं मेरे द्वारा यह आपत्ति करने पर कि चूकिं उक्त खांचा भूमि आवास संख्या 69/353 से लगती हुई नहीं है अतः मण्डल के नियमानुसार इस भूमि को 69/353 को आंवटित नहीं किया जा सकता है तत्पश्चात इस भूमि का आवंटन आवास संख्या 69/353 को नहीं किया गया था। इसके बाद मेरे पुत्र को आंवटित संख्या आवास संख्या 69/353 से लगती हुई इस खांचा भूमि पर मात्र मेरे पुत्र का ही अधिकार होने के कारण मैनें विधिवत आंवटन हेतु प्रार्थना पत्र राजस्थान आवासन मण्डल को प्रस्तुत किया था जो अभी तक लंबित चला आ रहा है।

इस विषय में यह अंकित करना उपयुक्त होगा कि उक्त खांचा भूमि का क्षेत्रफल आवास संख्या 69/354 के 50% से अधिक है, एवं इस प्रकार के प्रकरण में राजस्थन आवासन मण्डल, जयपुर प्रधान कार्यालय द्वारा जारी आदेश संख्या मु.प्र. 2009 / भू पट्टी आवंटन /48 / 1443 दिनांक 04.12.09 (प्रति संलग्न है) के बिन्दु संख्या (V) के अनुसार यदि कोई भू पट्टी निर्धारित सीमा 400 वर्ग मीटर अथवा मूल

भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल के 50% से अधिक होने पर भू पट्टी (स्ट्रीप ऑफ लैण्ड) के समस्त प्रकरण मुख्यालय स्थित "सम्पति आवंटन समिति" द्वारा निर्णित किए जाएंगे ।

परन्तु मेरे द्वारा इस विषय में कई बार निवेदन करने के उपरांत भी इस प्रकरण को सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक में नहीं रखा गया है। जबकि आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा उनके आदेश संख्या मु स प/2014 / 482 दिनांक 09.07.2014 (प्रति संलग्न है) के द्वारा यह आदेश दिए गए थे कि अतिरिक्त भू पट्टी आवंटन के लंबित प्रकरणों का निस्तारण सम्पति आवंटन समिति के माध्यम से किया जाना है अतः लम्बित प्रकरणों को अपनी स्पष्ट अनुशंसा के साथ प्रस्ताव मुख्य सम्पदा प्रंबधक को सात दिवस में प्रस्तुत करेंगे परन्तु उसके बाद भी उक्त प्रकरण को सम्पत्ति आवंटन समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

इस विषय में यह भी निवेदन है कि मेरे आवास की लाइन में सभी मकान 120 मीटर के है ऐसे में आवासन मण्डल के नियमानुसार 120 मीटर से छोटा मकान नहीं बनाया जा सकता है। चूकिं खांचा भूमि का क्षेत्रफल 120 मीटर से बहुत कम है अतः इस पर स्वतंत्र छोटे मकान का निर्माण नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निवेदन है कि इस प्रकरण को यथाशीघ्र राजस्थान आवासन मण्डल के अधीन सम्पति आवंटन समिति की बैठक में रखवाकर उक्त खांचा भूमि को मुझे आवंटन करने की कृपा करें। इस भूमि की मण्डल के नियमानुसार जो भी राशि होगी वो जमा कराने को प्रार्थी तत्पर है।

भवदीय
(बी. एस. मिश्रा)
मुख्यतयार आम
हर्ष मिश्रा

D-48 रामनगर, शास्त्री नगर,
जयपुर मो. 9983322384

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– भुसप्र/2009/भू–पट्टी/आवंटन/48/1443 दिनांकः– 4-12-09

कार्यालय–आदेश

विषयः– भू–पट्टी (स्ट्रीप ऑफ लैण्ड) के आवंटन बाबत दिशा–निर्देश।

राजस्थान आवासन मण्डल की योजनाओं में भू–पट्टी तथा अतिरिक्त/अधिक भूमि के आवंटन बाबत समय–समय पर कार्यालय आदेश जारी किये गये है। इन आदेशों को एकजाई करने एवं भू–पट्टी (स्ट्रीप ऑफ लैण्ड) के आवंटन बाबत दिशा–निर्देश निर्धारण का प्रस्ताव दिनांक 17.11.09 को आयोजित बोर्ड की 208वीं बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके निर्णय बिन्दु संख्या 208.12 के निर्णयानुसार पूर्व जारी समस्त आदेशों के अधिकमण में भू–पट्टी आवंटन के दिशा–निर्देश निर्धारित करते हुए निम्न आदेश प्रसारित किये जाते हैं:–

1. भू–पट्टी (स्ट्रीप ऑफ लैण्ड) की परिभाषाः–

(i) आवंटित आवास/आवासीय भूखण्ड से लगती हुई ऐसी भूमि जो क्षेत्रफल एवं आवास की दृष्टि से एक स्वतंत्र भूखण्ड के रूप में निस्तारण योग्य न हो।

(ii) प्रस्तावित भू–पट्टी मण्डल हेतु किसी भी प्रयोजनार्थ उपयोगी न हो तथा जिसके निस्तारण/विक्रय से जन–सामान्य की सुविधा, सुरक्षा तथा यातायात संचालन में कोई व्यवधान की आशंका न हो।

भू–पट्टी (स्ट्रीप ऑफ लैण्ड) क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर से अधिक तथा आवंटित आवास के भूखण्ड के 50 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक न हो तथा जो सड़क/सार्वजनिक मार्ग की नियमित रेखा (Line of Alignment) के पीछे हो तथा विद्यमान भवन रेखा (Building Line) को बाधित न करें।

(iv) किसी भी क्षेत्र/योजना में साफ–सफाई (Scavenging & Sanitation) हेतु छोड़ी गई भूमि आवंटन योग्य नहीं होगी।

(v) भू–पट्टी हेतु निर्धारित सीमा 100 वर्ग मीटर अथवा मूल भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल के 50 प्रतिशत से अधिक होने पर भू–पट्टी (स्ट्रीप ऑफ लैण्ड) के समस्त प्रकरण मुख्यालय स्थित "सम्पत्ति आवंटन समिति" द्वारा निर्णित किये जायेंगे।

(vi) व्यावसायिक उपयोग की भूमि किसी भी स्थिति में आवंटन योग्य भू–पट्टी नहीं मानी जा सकती। किसी भी क्षेत्र की आयोजना के समय ही यह सुनिश्चित किया जावे की व्यावसायिक उपयोग की कोई भूमि अनुपयोगी न रहे।

(vii) आवासों के आवंटन के समय आवास के पास उपलब्ध अतिरिक्त भूमि का आवंटन पूर्व आदेश कमांक– एफ/2/3/लागत/1015 "बी"/451 दिनांक 22.12.04 के अनुसार ही किया जायेगा।

2. भू–पट्टी आवंटन के पात्र व्यक्तिः–

(i) आवंटित किये गये आवास/आवासीय भूखण्ड के आवंटी, जिनका आवास प्रश्नगत भू–पट्टी से लगता हुआ हो।

(ii) एक से अधिक आवासों के मध्य यदि भू–पट्टी उपलब्ध हो तथा यह मण्डल के लिए अनुपयोगी हो तो ऐसी भू–पट्टी हेतु, संबंधित आवासों के आवंटी समान रूप से पात्रता रखेंगे।

(iii) एक से अधिक आवासों के मध्य उपलब्ध भू–पट्टी के आंवटन हेतु संबंधित आवासों के आवंटियों द्वारा आवेदन नहीं किये जाने की स्थिति में किसी एक आवंटी को भू–प्रट्टी आवंटन पर विचार किये जाने से पूर्व शेष सभी संबंधित आवंटियों से लिखित अनापत्ति तथा शपथ पत्र प्राप्त हो।

(iv) संबंधित आवंटियों की असहमति की स्थिति में उपलब्ध भू–पट्टी का आवंटन नीलामी के माध्यम से ही हो।

3. आवंटन की प्रकिया:–

मण्डल की योजनाओं में आवंटित आवासों के पास उपलब्ध भू–पट्टियों का तकनीकी परीक्षण एवं मौका निरीक्षण संबंधित उप आवासन आयुक्त व वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा किया जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिसके अनुसार जयपुर शहर के अतिरिक्त अन्य शहरों में 100 वर्ग मीटर से कम एवं आवंटित आवास के भूखण्ड के 50 प्रतिशत क्षेत्रफल तक की भू–पट्टियों का आवंटन जिला आवंटन समिति के माध्यम से तथा जयपुर शहर की योजनाओं में आवासों के पास उपलब्ध भू–पट्टियों के आवंटन का निर्णय नियमानुसार आवंटन के समय प्रचलित भूमि एवं विकास दर की सवा दो गुणा राशि (दर) लेते हुए मण्डल की "सम्पत्ति आवंटन समिति" द्वारा किया जायेगा।

(पवन कुमार गोयल)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख निजी सचिव–अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता / सचिव / निदेशक (विधि), राज0 आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, पी. एण्ड एम. / वित्तीय सलाहकार / तकनीकी सहायक, आवासन आयुक्त / जन सम्पर्क अधिकारी, रा0आ0म0, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, वृत– .... रा0आ0म0, ...
6. आवासीय अभियन्ता, खण्ड–.................. रा0आवम0, ...
7. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः— मुसप्र / 2014 / 182 दिनांकः— 9/7/14

आदेश

जयपुर स्थित अतिरिक्त भू–पट्टी आवंटन के प्रकरण विचाराधीन है। अतिरिक्त भू–पट्टी आवंटन के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण सम्पत्ति आवंटन समिति के माध्यम से किया जाना है। अतः लम्बित प्रकरणों को सम्पत्ति आवंटन समिति के समक्ष विचाराधीन रखने से पूर्व, समिति के सदस्य मौका निरीक्षण कर प्रस्ताव की गहन जांच के साथ अतिरिक्त भूमि आवंटन की स्पष्ट अनुषशां के साथ प्रस्ताव मुख्य सम्पदा प्रबंधक को सात दिवस में प्रस्तुत करेगें। ताकि प्रकरण सम्पत्ति आवंटन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकें।

उक्त समिति में मण्डल के निम्नांकित अधिकारी रहेगे :—

1. सम्पदा प्रबंधक (मुख्यालय)
2. वरिष्ठ नगर नियोजक,
3. उप आवासन आयुक्त, (संबंधित वृत्त कार्यालय)
4. आवासीय अभियन्ता, (संबंधित खण्ड कार्यालय)

(आनन्द कुमार)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, अध्यक्ष / आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव / वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक / वरिष्ठ नगर नियोजक, रा0आ0मं0 जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) / प्रथम / द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. वरिष्ठ निजी सहायक, मुख्य सम्पदा प्रबंधक (मुख्यालय), रा0आ0मं0 जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त वृत्त.................... आवासीय अभियन्ता–खण्ड................।
8. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

N.S.Negi pc 2501\F:\desktop\...\Negi letter-3 01.01.14.docx

AHO Put up with file
24/09/19

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त–द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, मानसरोवर, जयपुर

कमांक :– 3460

दिनांक :– 23/3/11

श्री हर्ष मिश्रा
द्वारा श्री भगवान सहाय मिश्रा
डी–48, रामनगर
शास्त्री नगर जयपुर ।

विषय :– आवास संख्या 69/353 मानसरोवर जयपुर के समीप उपलब्ध अतिरिक्त भूमि आवंटन बाबत ।

सन्दर्भ :– श्री एम.के. कासलीवाल आवंटी आवास संख्या 69/353 का पत्र दिनांक 28.1.2011

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा श्री एम.के. कासलीवाल आवंटी आवास संख्या 69/353 ने अपने आवास के समीप उपलब्ध अतिरिक्त भूपटटी आवंटन हेतु निवेदन किया है । इस संबंध में लेख है कि उक्त अतिरिक्त भूपटटी आवास संख्या 69/353 मानसरोवर के पीछे एवं आवास संख्या 69/354 मानसरोवर के समीप उपलब्ध है। अतः आप इस संबंध में अपनी अनापत्ति पत्र जारी होने के सात दिवस में कार्यालय में प्रस्तुत करें कि आपके आवास के समीप उपलब्ध अतिरिक्त भूपटटी का आवंटन आवास संख्या 69/353 मानसरोवर को कर दिया जावे अथवा नहीं ताकि तदानुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव हो सकें ।

भवदीय
23/3

सम्पदा प्रबन्धक
जयपुर वृत्त द्वितीय